छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

कमांक एफ 10–8/2020/29–1/खाद्य अटल नगर, दिनांक 04/07/2020

प्रति,

समस्त,
कलेक्टर,
छत्तीसगढ

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्री वितरण के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

विषयांतर्गत भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र कमांक F-9-2/2019-PD II (E366891) दिनांक 03 अप्रैल 2020 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्री वितरण के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने एवं सभी संबंधित हितधारकों, उचित मूल्य दुकान संचालकों, राशनकार्डधारियों आदि को इस संबंध में जागरुक करने तथा COVID–19 के संक्रमण से बचाव हेतु राशन सामग्री वितरण के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे –

(1) उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामग्री वितरण के दौरान हितग्राहियों के कतारबद्ध होने पर उनके मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जावे। इस हेतु कतार में प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर जमीन में गोल या चौकोर निशान बनाये जा सकते है।
(2) नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए चेहरे को ढकने के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क/रूमाल का उपयोग किया जा सकता है।
(3) ePoS डिवाइस (टैबलेट) पर प्रत्येक बॉयोमेट्रिक सत्यापन के पूर्व हितग्राहियों को साबुन व पानी से हाथ धोने की सलाह दी जावे। इस हेतु एल्कोहल आधारित हैण्ड सैनेटाईजर का भी उपयोग किया जा सकता है।
(4) सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को ePoS डिवाइस (टैबलेट) का उपयोग करते समय नियमित रूप से साबुन एवं पानी/सैनेटाईजर हाथ धोने की सलाह दी जाये।

Scanned with CamScanner

(5) सभी उचित मूल्य दुकानों, गोदामों आदि में हितग्राहियों, उचित मूल्य दुकान संचालकों, कर्मचारियों, श्रमिकों आदि के लिए साबुन, पानी, हैण्ड सैनेटाईजर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(6) उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण के दौरान अधिक संख्या में हितग्राहियों को एकत्रित होने से रोकने हेतु खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन किया जावे। इस हेतु खाद्यान्न वितरण हेतु समय एवं दिवसों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

(7) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकान पूरे माह खुला रखा जाये। उचित मूल्य दुकान संचालकों के द्वारा खाद्यान्न के वितरण के संबंध में हितग्राहियों के लिये सभी आवश्यक सूचनायें जैसे– दुकान के खुलने एवं बंद होने का समय, दर, पात्रता, खाद्यान्न के प्रकार आदि जानकारी का प्रदर्शन उचित मूल्य दुकान के अंदर एवं बाहर कम से कम 2 से 3 स्थानों पर किया जावे।

(8) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 03 माहों– अप्रैल से जून, 2020 तक के खाद्यान्न के अतिरिक्त मात्रा के निःशुल्क वितरण के संबंध में हितग्राहियों, उचित मूल्य दुकान संचालकों एवं अन्य हितधारकों (Stakeholders) को जागरुक किया जावे।

(9) हितग्राहियों की शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु शिकायत निवारण प्रणाली जैसे– टोल फ्री नम्बर एवं ऑनलाईन शिकायत निवारण तंत्र, जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के फोन नम्बर, सतर्कता समितियों, राज्य खाद्य आयोग आदि से संबंधित जानकारियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

(10) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं खाद्यान्न के लिकेज/डायवर्सन पर रोक लगाने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण की निगरानी हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जावे।

(11) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन एवं खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करने तथा समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये तथा नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण विभाग के साथ साझा किया जाये।

(12) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के पैरा 9(9) के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्नों से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित मूल्य दुकान के माध्यम से विक्रय किये जाने की अनुमति दे सकते है। इस परिपेक्ष्य में नोवल कोराना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए

Scanned with CamScanner

मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, साबुन आदि के वितरण की मांग/आवश्यकता निर्मित होने पर जिलों द्वारा इन सामग्रियों की उपलब्धता एवं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से विक्रय हेतु व्यवस्था की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

(मनोज कुमार सोनी), 5/4/20

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

प्रतिलिपि–

पृ.क्रमांक एफ 10–8/2020/29–1/खाद्य अटल नगर, दिनांक 28 मार्च, 2020

1. आयुक्त, खाद्य संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकरी, छत्तीसगढ़।

विशेष सचिव 5/4/20

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

Scanned with CamScanner